

फर्द अहकाम


(नियम 26)

2021/192

शियल्स ज

लत ~~अति. जिला कलेक्टर~~ मुकाम ~~श्री. श्री~~
~~जोगप्रकाश पुत्र बनवारी~~ कुहाड़वाल बनाम ~~नायब तहसीलदार~~ ~~पुन्ना~~
 उदमा ~~अपील~~ नं. ~~५५~~ सन् ~~२०२१~~

१२२

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२९/६/२१	यह अपील अधिवक्ता श्री विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रस्पोडन्ट की तलबी जारी हो मिसल मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ०४.०८.२०२१ को पेश। अति. जिला कलेक्टर इंशुन	
५/८/२१	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित पत्रावली वास्ते मिसल तलबी दिनांक ६/९/२१ को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इंशुन	
६/९/२१	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप.। अधिवक्ता न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते मिसल तलबी दिनांक २७/९/२१ को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इंशुन	
२७/९/२१	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप. द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक २६/१०/२१ को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इंशुन	
२६/१०/२१	पत्रावली पेश हुई वकील प्रकाश उपास्थित पी ओ साहब आज राजकार्य प्रकाश प्रमाण पर है पत्रावली तलब दिनांक ६/११/२१ को पेश श्री रीजर	
६/१२/२१	पत्रावली पेश हुई वकील प्रकाश उपास्थित पी ओ साहब आज राजकार्य प्रकाश प्रमाण पर है पत्रावली तलब दिनांक १२/१२/२०२१ को पेश श्री रीजर	

पि
अपील
दर्ज दि

२/१०/२१
५/१०/२१
११/१०/२१

१/११/२१

उप
व
अति. जिला कलेक्टर
इंशुन
उप
को
के

नाय
गम
है

12/11/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/12/22 को पेश हो।

7/12/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9/3/22

पत्रावली पेश हुई 5 कारण राष्ट्रिय लोक अदालत 12/3/22 में सूचीबद्ध है। वकील अपीलान्ट को क्षति भिन्न गथा। पत्रावली वास्तु सुनवाई दिनांक 12/3/22 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर
सुंहरा

12/3/22

पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12/3/22 में निम्न होने पर आज पेशी में ली गई। पक्ष कारण उप नही होने के कारण पत्रावली के निस्तारण संभव नहीं कार्यवाही नहीं की गयी। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 4/4/22 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर
सुंहरा

4/4/22

पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष कारण उप पत्रावली में बहस हेतु अन्तिम अपसर दिनांक 20/4/22 को पेश हो

अति. जिला कलेक्टर
सुंहरा

20/04/2022

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उग्रपक्ष उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि वे इस अपील को लागे नहीं चलायान्हाहे अपील को विज्ञा करना हैं। ऐसी स्थिति के अपील अपीलान्ट विज्ञा के आधार पर खारिज की जाती है आदेश सुनाया गया। पत्रावली के सब शर्त के तहत 7 नम्बर से कम हो गया बाकि तकमिल आदेश अधिवक्ता पक्ष है।

अति. जिला कलेक्टर
सुंहरा

सुंहरा

इस अपील को लागे नहीं चलाया जायेगा इस अपील को खारिज कर दिया गया है।
सुंहरा